न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 09 / 2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021 / 34

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
गणेशराम पुत्र रामाराम, निवासी— रामवास कलां, तहसील—जैतारण, जिला—पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत रामावास कलां, पंचायत समिति जैतारण जिला— पाली जरिये सरपंच। 2. रूपाराम पुत्र मांगीलाल 3. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल 4. मांगीलाल पुत्र भूराराम जातिगण—कुमावत, निवासीगण — रामावास कलां, तहसील—जैतारण जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 19.04.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा जारी पट्टा संख्या 5 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या दो व तीन के पक्ष में ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा जैरनिगरानी पट्टा 05 अदिनांकित बनाप 22 बाई 23 फीट का जारी किया गया जिसके पड़ोस इस प्रकार है :— उत्तर में सार्वजनिक पुरानी प्याउ व नाला, दक्षिण में ग्राम पंचायत की दुकाने, पूर्व में सार्वजनिक जलदाय विभाग व पी.एच.ई.डी. की टंकी, पश्चिम में जैतारण से निम्बोल सड़क स्थित है। उक्त जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 4 मांगीलाल द्वारा जारी किया गया है जो अप्रार्थी संख्या दो व तीन के पिता है। अप्रार्थी संख्या दो व तीन के पक्ष में जिस भूमि का उपरोक्त पट्टा बनाया गया है उस आराजी पर अप्रार्थी संख्या दो, तीन व चार का पुश्तैनी कब्जा , अधिकार या आधिपत्य नहीं रहा है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे, मिसल, आदेशिका की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा मात्र पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गइ व शेष रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या चार मांगीलाल ने स्वयं अपने पुत्रों अप्रार्थी संख्या दो व तीन रूपाराम व शंकरलाल को अनुचित लाभ पहुँचाने के दुराशय से बिना कोई प्रक्रिया अपनाये सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा जारी किया है जो आरम्भ से शून्य, नल एण्ड वॉईड होने से जैर निगरानी पट्टा काबिले निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी 2 व 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो व तीन का पिता होने के कारण हितबद्ध व्यक्ति है जिसे अपने पुत्रों के पक्ष में पट्टा जारी करने व प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेना निषेध है। बावजूद इसके सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। जिसे जारी करने का अप्रार्थी संख्या तीन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त

जिला कलेक्टर, पाली

योग्य है। अप्रार्थी संख्या 4 मांगीलाल जो पूर्व सरपंच था जिसके द्वारा एक अन्य पट्टा संख्या 28 दिनांक 21.09.2004 को अपने भाई के पोत्र सुखदेव पुत्र ढगलाराम के पक्ष में जैर निगरानी पट्टे के दक्षिण में चिपते स्थल का जारी किया है जिस पर पूर्व में ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा वर्ष 2001 में सरकारी योजना अनुसार प्रस्ताव पारित कर राजकोष से दुकान का निर्माण करवाया था इस दुकान को सुखदेव द्वारा किराये पर लिया गया तथा बाद में अपने नाम उक्त फर्जी पट्टा बनवाकर किराया देना बन्द कर दिया। उक्त पट्टे को खारिज कराने हेतु प्रार्थी द्वारा पृथक से निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश कि गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे में दर्शायी गयी भूमि का फर्जी व कूटरचित पट्टा बनाने पर आपत्ति जाहिर करने पर अप्रार्थी संख्या दो से चार व सुखदेव व उसके पिता ढगलाराम, ढगलाराम के चचरे भाई बगदाराम व चम्पालाल द्वारा जाहिर किया गया कि उनके पास जैर निगरानी पट्टे की भूमि सहित आसपास की लगभग 109 बाई 344 फीट अर्थात 37496 वर्गफीट का पट्टा रतनाराम पुत्र भूराराम के नाम का बना हुआ है जो पट्टा संख्या 28 दिनांक 10.10.1981 को तत्समय ग्राम पंचायत लौटोती द्वारा जारीसदा है। अतः अप्रार्थी संख्या दो व तीन को जैरनिगरानी पट्टा बना होने की जानकारी थी तथा भूमि का पूर्व में पट्टा बना हुआ होने के बावजूद पश्चातवृती पट्टा बनाया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा कूटरचित व फर्जी है। अतः पट्टे पर पट्टा जारी किया जाने से जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में उल्लेखित विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है न तो पट्टे हेतु कोई आवेदन किया गया, न किसी प्रकार मौका निरीक्षण, आपत्ति नोटिस, बयान गवाहान, आदेश व निर्णय के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई न प्रतिफल राशि अदा करने अथवा जमा करने का कोई प्रमाण है जैर निगरानी पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। पट्टे पर मिसल संख्या, फैसला दिनांक, पट्टा जारी करने की दिनांक, प्रस्ताव व प्रस्ताव की दिनांक, पट्टा क्रमांक आदि अंकित नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे सहित रतनाराम पुत्र भूराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 10.10.1981 व सुखदेव पुत्र ढगलाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा दिनांक 21.09.2004 को जारी पट्टा संख्या 28 के फर्जी होने के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा एकराय होकर प्रार्थी के रास्ते की भूमि सहित अन्य सार्वजनिक भूमि, प्याउ, दुकान हडपने, पट्टीया रोपकर तारबन्दी कर जबरन अवैध कब्जा करने एवं धोखाधड़ी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पुलिस थाना जैतारण व पुलिस अधीक्षक महोदय, पाली को पेश की है जो मुकदमा अनुसंधान के अधीन है। अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत लौटोती से ग्राम पंचायत रामावास कलां बनी तभी रेकर्ड अस्त व्यस्त हुआ होगा। प्रार्थी केवल इकरारनामें के आधार पर अपना अधिकार बता रहे है तथा पट्टे को कूटरचित बता रहे है यदि जैर निगरानी पट्टा कूटरचित है तो पुलिस द्वारा अनुसंधान से साबित होगा। अत निगरानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी जैर निगरानी आराजी को गोविन्दसिंह की पुश्तैनी भूमि बता रहे है परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया उसका फायदा उठा रहे है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थी की ओर से दिनांक 3.8.2018 को निष्पादित तथाकथित बेचान इकरारनामा के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है जो विधिनुसार सम्यक रूप से मुन्द्रांकित एवं पंजिकृत नहीं है अतः उसे विधिनुसार इम्पाउण्ड कर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित करावे तथा जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। निगरानी में मुख्य बिन्दु यह है कि अप्रार्थी संख्या चार मांगीलाल ने स्वयं अपने पुत्रों अप्रार्थी संख्या दो व तीन रूपाराम व शंकरलाल को अनुचित लाभ पहुँचाने के दुराशय से बिना कोई प्रक्रिया अपनाये सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा जारी किया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी 2 व 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख)

जिला कलेक्टर, पाली

के तहत पट्टा जारी किया गया है जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो व तीन का पिता होने के कारण हितबद्ध व्यक्ति है जिसे अपने पुत्रों के पक्ष में पट्टा जारी करने व प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेना निषेध है। ऐसे में हस्तगत निगरानी में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की सत्यता / प्रमाणिकता के संबंध में पंचायत राज नियम 1996 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में जाँच करे कि यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित(Vitiate) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण पुराने पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली